

(१)

कार्यालय
राष्ट्रीय एराटी री 380 / 200

जनपद
विधान अक्टूबर 18/2008

रोका मे.


श्री ५०० को कौशिक,
राष्ट्रीय निदेशक,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
छठी गंजिल 'विठ' विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ११०००१

(२०)
20/10/08
से ८/१

कृपया अपने पत्र संख्या एलएम्पी/अस्याचार/आदर/
उ०प्र०/०६२१/२००८/आरयू १ दिनांक ६-८ २००८ का संदर्भ ग्रहण करने
की कृपा करें जो अवेदक श्री लाल मोहर गोड पुत्र रव० रामपति गोड
राकिन दीलानेका राय थाना बैरिया बलिया का शिकायती प्रार्थना पत्र पर
जाँच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

2. उपरोक्त के संदर्भ मे रादर अवगत कराना है कि उक्त आवेदक के शिकायती प्रार्थना पत्र मे अंकित आरोपों/तथ्यों की जाँच क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री रिद्धार्थ द्वारा करायी गयी, जो कि स्वतः सफल है। जाँच से पाया गया कि आवेदक द्वारा वर्ष २००३ मे सोनालिका ट्रैक्टर न०-यूपी ६०८ी ८७१४ लोग पुलिस द्वारा गया था, जिस पर बब्न सिंह अपने जमीन का कागजात देकर प्रान्तर बने थे। आवेदक द्वारा योजनाबद्द तरीके से ट्रैक्टर को बंगाल गेजकर अपने लडके को थारा बैरिया पर गेजकर ट्रैक्टर वारी के सम्बन्ध मे सूकना दिया गया परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा अपने प्रधारा से ट्रैक्टर मय द्वाली व हल को बरागदगी कर लिया गया और प्रान्तर बब्न सिंह के पार्थना पत्र पर थाना बैरिया पर मुद्रांरण १११/०८ धारा ४०६/४१९/ ४२० गादवि बनाम लालगोहर, लालजी, गोपाल जी, तुलसी व बीरबल के विरक्ष पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना लालमोहर, लालजी, बीरबल व भगवान को गिरफ्तार कर जोल भेजा गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए विवेचना के निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकारी बैरिया/थानाध्यक्ष बैरिया को निर्देशित किया गया है। जाँच आख्या एवं शिकायती प्रार्थना पत्र संलग्न कर भेजा जा रहा है। सलग्नका उपरोक्त।

(श्रीधर पाठक)
पुलिस अधीक्षक
बलिया।



१०४

10/10/08

22/10/2008